अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या– 428/सत्तर–2–2017–16(165)/2012टी.सी.

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति/कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 जून, 2020

विषयः– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु (आगामी शिक्षा सत्र के लिये) सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–710/सत्तर–2–2014–16(165)/2012 टी.सी. दिनांक 14–11–2014 एवं संख्या–373/सत्तर–2–2020–16(165)/2012 टी.सी. दिनांक 11.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बद्धता के प्रस्तावों के निस्तारण हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 14–11–2014 द्वारा समय–सारणी निर्धारित की गयी है। शासनादेश दिनांक 11.06.2020 के द्वारा लंम्बित संम्बद्धता के प्रस्तावो के निस्तारण हेतु विशेष परिस्थिति में सम्बद्धता प्रदान करने की अंतिम तिथि 30 मई से बढ़ा कर दिनांक 30.06.2020 की गयी किन्तु कोविड–19 के दृष्टिगत सम्पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण उपरोक्त शासनादेश दिनांक 14.11.2014 द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार कार्यवाही न हो पाने के परिणाम स्वरूप शैक्षिक सत्र 2020–21 के लम्बित सम्बद्धता के प्रस्तावों के निस्तारण हेतु विशेष परिस्थिति में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधित समय–सारणी निर्धारित की जाती है:–

	कार्यवाही	समय–सारणी	संशोधित समय–सारणी
1	निरीक्षण मण्डल का गठन	दि0– 20 मार्च तक	दि0– 30 जून 2020 तक
2	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया जाना	दि0– 15 अप्रैल तक	दि0– 5 जुलाई 2020 तक
3	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दि0– 30 मई तक	दि0– 15 जुलाई 2020 तक
4	शासन में अपील करने की तिथि	दि0– 15 जून तक	दि0– 31 जुलाई 2020 तक
5	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दि0– 15 जुलाई तक	दि0–20 अगस्त 2020 तक

कृपया उक्त समय–सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करानें का कष्ट करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Draft-2020 (v.)

संख्या–428(1)/सत्तर–2–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।

आज्ञा से,

(कुँवर मकरन्द सिंह)
उप सचिव।

Draft-2020 (v.)